classmate
Date
Page

DATE: 12/10/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POL. SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 10 (GOVERNOR)
LECTURE NO. 08

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल के सम्बंध में भगवान सहाय समिति (1970) की प्रमुख सिफारिशें —

1970 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल श्री भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं —

(i) यदि विधानसभा के मंत्रीमंडल के पक्ष में समर्थन संदेहास्पद और मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल को तुरंत मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए।

(ii) किसी मंत्रिमंडल को बहुमत का विश्वास प्राप्त है अथवा नहीं इस बात का निर्णय 'राजभवन' में नहीं वरन् विधानसभा में ही किया जाना चाहिए।

(iii) मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने की समस्त संभावनाएँ क्षीण हो गई हो, तो ही राज्यपाल को विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल के सम्बंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता जून 1983 एक आयोग गठित की गई, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी, इसमें निम्न-लिखित सिफारिशें की गई —

(i) राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य, जिसमें वह नियुक्त किया जाय, के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा वह राज्य की राजनीति में कोई रुचि नहीं रखता हो।

(iii) उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किए जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो।

(iv) राज्यपाल का चयन करते समय अल्प-संख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

(v) किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जो केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल द्वारा चलाया जा रहा हो।

Scanned with CamScanner

(VI) यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो, तो राज्यपाल को यह देखना कि उस राज्य में विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है।

(VII) यदि नीति सम्बंधी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार विधानसभा में पराजित हो जाती है, तो शीघ्र-चुनाव कराये जाने की स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रिमंडल को कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए।

(VIII) राज्यपाल के पाँचवर्षीय सामान्य कार्यकाल को पूरा करने दिया जाना चाहिए। अर्थात् किन्हीं राजनीतिक कारणों से उसे पाँच वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिए।

(IX) यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए और उसे विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में न हो, तो राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। अर्थात राज्यपाल को अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करने से पूर्व विभिन्न विकल्पों की तलाश करनी चाहिए और अनु० 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए।

(X) राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति के द्वारा चार माह की अवधि में निर्णय दे दिया जाना चाहिए।

(XI) राज्यपाल को मंत्रिमंडल के बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल के सम्बंध में पुंछी आयोग की सिफारिशें—

(i) आयोग के अनुसार "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करेगा", इसमें प्रसादपर्यंत का संशोधन करना चाहिए।

(ii) राज्यपाल के रूप में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाय, जिसका स्थानीय दलों से कोई सम्बंध न हो।

(iii) आयोग ने राज्यपालों की मनमानी बर्खास्तगी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपालों को राजनीतिक फुटबाल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(iv) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए।

(v) आयोग ने राज्यपाल को हटाने के पूर्व विधान सभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंसा की है।

(vi) पुंछी आयोग ने वर्ष-2007 में स्थापित वेंकट चलैया आयोग की अनुशंसा का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा होनी चाहिए, जिस समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष तथा सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति को भी शामिल किया जा सकता है।

(vii) अनु०-163(2) में विवेकाधीन शक्तियों को परिभाषित किया जाय।

(viii) आयोग ने अनु०-200 के तहत आरक्षित किसी भी विधेयक पर चार महीने की अवधि में अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की है।

Scanned with CamScanner